दिल्ली विधि अधिनियम, 1912

(1912 का अधिनियम संख्यांक 13)

[18 सितम्बर, 1912]

दिल्ली प्रांत में प्रवृत्त विधि को लागू करने के लिए और अन्य अधिनियमितियों का उस पर विस्तार करने के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

1912 के सितम्बर के सत्रहवें दिन की अधिसूचना सं० 911 में प्रकाशित उद्घोषणा[1] द्वारा सपरिषद् गवर्नर जनरल ने, सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया की मंजूरी और अनुमोदन से, अनुसूची क में उल्लिखित राज्यक्षेत्र को, जो पहले पंजाब प्रांत के अन्तर्गत था, अपने सीधे प्राधिकार और प्रबंध के अधीन ले लिया है और मुख्य आयुक्त द्वारा दिल्ली प्रान्त के नाम से एक पृथक् प्रान्त के रूप में उसका प्रशासन किए जाने की व्यवस्था की है;

और यह समीचीन है कि उक्त राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि को लागू करने के लिए और अन्य अधिनियमितियों का उस पर विस्तार करने के लिए उपबंध किया जाए; अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 है; और

(2) यह 1912 के अक्तूबर के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा ।

2. अधिनियमितियों के राज्यक्षेत्रों को लागू होने के संबंध में व्यावृत्ति—यह नहीं समझा जाएगा कि उद्देशिका में निर्दिष्ट उद्घोषणा से किसी अधिनियमिति के किसी राज्यक्षेत्र को लागू होने में कोई परिवर्तन हुआ है भले ही उस अधिनियमिति में यह अभिव्यक्त रूप से अधिकथित हो कि वह तत्समय किसी विशिष्ट प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्रों को या उन पर लागू विस्तारित है ।

3. अनुसूची क में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त कतिपय अधिनियमितियों का अर्थान्वयन—[2][भारत] में किसी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई सभी अधिनियमितियों का और ऐसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गई, बनाई गई या विहित की गई सभी अधिसूचना, आदेशों, स्कीमों, नियमों, प्ररूपों और उपविधियों का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले अनुसूची क में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त थी या उसके लिए विहित थीं, उस राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो उनमें अनुसूची ख के स्तम्भ 1 में उल्लिखित प्राधिकारियों या राजपत्र के प्रति निर्देश उस अनुसूची के स्तम्भ 2 में उनके सामने उल्लिखित या निर्दिष्ट प्राधिकारियों या राजपत्र के प्रति निर्देश हों ।

[3]* * * *

4. अधिनियमितियों का लागू किया जाना सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ न्यायालयों और स्थानीय सरकार की शक्तियां—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले पारित किसी अधिनियमिति का या ऐसी किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गई, बनाई गई या विहित की गई किसी अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप या उपविधि का, अनुसूची क में उल्लिखित राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू किया जाना सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ,—

(1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस अधिनियमिति, अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप या उपविधि का अर्थ, सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे परिवर्तनों के साथ लगा सकेगा जो उसे न्यायालय के समक्ष मामले के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक या उचित हों, और

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि किसी शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का निर्वहन किस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, और ऐसी कोई अधिसूचना इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम में अधिनियमित की गई हो ।

5. विभिन्न अधिकारियों की शक्तियों का एक ही अधिकारी में निहित होना—(1) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में यह निदेश दिया जा सकेगा कि विभिन्न अधिकारियों में निहित शक्तियां या कर्तव्य समेकित किए जाएंगे और वे एक ही अधिकारी में निहित होंगे और उनका उसके द्वारा निर्वहन किया जाएगा ।

(2) जहां ऐसी अधिसूचना द्वारा एक ही अधिकारी में अपीली शक्तियां समेकित और निहित की गई हैं, वहां समेकित अपील के लिए परिसीमाकाल उन अधिकारियों में से किसी को, जिसकी शक्तियां इस प्रकार समेकित की गई हैं, की जाने वाली अपील की दशा में उपबंधित अधिकतम अवधि, होगा ।

---

[1] देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1912, असाधारण, पृ० 17 ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा धारा 3 का परन्तुक निरसित ।

6. लंबित कार्यवाहियां—इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो इसके प्रारम्भ पर अनुसूची क में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र के बारे में लम्बित है और ऐसी प्रत्येक कार्यवाही इस प्रकार चालू रखी जाएगी मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ थाः

परन्तु ऐसी सभी कार्यवाहियां जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर खण्ड आयुक्त या अनुसूची क में उल्लिखित राज्यक्षेत्र में किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, दिल्ली राज्य में ऐसे प्राधिकारियों को अंतरित की जाएंगी जिन्हें राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे और उनके द्वारा निपटाई जाएंगी ।

7. अन्य प्रांतों में प्रवृत्त अधिनियमितियों को उपान्तरणों और निर्बंधनों सहित विस्तारित करने की शक्ति—भाग ग राज्य (विधि) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) की धारा 4 द्वारा निरसित ।

अनुसूची क

(धारा 3 देखिए)

दिल्ली राज्य[1]

दिल्ली जिले का वह भाग जिसमें दिल्ली तहसील और महरौली पुलिस थाना समाविष्ट हैं ।

अनुसूची ख

(धारा 3 देखिए)

निर्देश	अर्थान्वयन
1	2
[2]* * *	
2. पंजाब [3][राज्य सरकार]	
[2]* * *	
5. मुख्य सीमाशुल्क प्राधिकारी	
6. वित्त आयुक्त	दिल्ली [4][राज्य सरकार ।]
7. राजस्व आयुक्त	
8. खंड आयुक्त	
9. आयुक्त	
10. सरकार का मुख्य सचिव	
11. सरकार का सचिव या राज्य सरकार का सचिव	
12. पूर्त विन्यास के कोषाध्यक्ष के सिवाय, जिसके प्राधिकार का इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले अनुसूची क में उल्लिखित राज्यक्षेत्र पर विस्तार था, ऐसे सभी अधिकारी और शासकीय निकाय जो पूर्ववर्ती खण्डों में उल्लिखित नहीं हैं ।	ऐसे पदधारी या शासकीय निकाय जिन्हें राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे ।
[5]* * * *	

———

[1] बाद में 65 गांव दिल्ली राज्य में सम्मिलित किए गए । देखिए दिल्ली विधि अधिनियम, 1915 (1915 का 7) की अनुसूची 1 ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा मद सं० 1, 3 और 4 निरसित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "उप-राज्यपाल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "मुख्य-आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रविष्ट 13 निरसित ।